Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

जे0के0 सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा बनाम **मोतीलाल**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 77(2) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र (रे.वि.)** नं0 **019** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.06.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। पूर्व में अप्रार्थी की और से अधिवक्ता विजय श्रीमाली ने अधिकार पत्र एवं प्रार्थना–पत्र बाबत् मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त किये जाने हेतु पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थना–पत्र रिकार्ड पर लिया जाता है। वकील अप्रार्थी हाजिर। नकल वकील प्रार्थी को दिलवाई गई। वकील प्रार्थी ने कोई एतराज नहीं होना अंकित किया। अप्रार्थी स्वयं हाजिर। अप्रार्थी की पहचान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा की गई। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र को सुना गया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का चित्त मन से शांतिपूर्वक चिंतन–मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि अप्रार्थी अपने हक व हिस्से की मुआवजा राशि मेरी पारिवारिक निजी आवश्यकता होने से प्राप्त करना चाहता हॅू अब वर्तमान में प्रार्थी कंपनी एवं प्रार्थी के मध्य उपरोक्त मुआवजा राशि को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी कंपनी द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थी को कराये जाने की किसी भी प्रकार का उज्र नहीं होना जाहिर किया है। अप्रार्थी निर्धारित मुआवजा राशि अपने हक हिस्से अनुसार प्राप्त करना चाहते है, ऐसी स्थिति में **Interest of Justice** अप्रार्थी को निर्धारित मुआवजा राशि में से अपने हक हिस्से अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान कराया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्रांक/राजस्व/2024/247 दिनांक 14.02.2024 से प्राप्त अप्रार्थी संख्या के नाम पर जारी चैक संख्या 120909 दिनांक 26.10.2023 तादादी कुल रूपये 1,16,046/– अक्षरे एक लाख सोलह हजार छियालीस रूपये मात्र का चैक तहसीलदार निम्बाहेडा को अप्रार्थी को वास्ते भुगतान भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है। तहरीर जारी करे। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी निर्धारित मुआवजा राशि के चैक प्राप्त करना चाहते है ऐसी स्थिति में प्रकरण के विपक्षी द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु सहमति प्राप्त हो चुकी है जिससे पत्रावली में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है, अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। -S/d- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 19.06.2024 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	